शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 43 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 20 – 27 अक्तूबर 2025 मूल्य पांच रूपये

धारा 118 के प्रस्तावित सरलीकरण से सरकार की नीयत पर उठे सवाल

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार भू-राजस्व अधिनियम की धारा 118 का सरलीकरण करने जा रही है। चर्चाओं के अनुसार सरकार ने इसके लिये एक मंत्री स्तरीय कमेटी का भी गठन कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस प्रस्तावित सरलीकरण को हिमाचल के हितों को बेचने का प्रयास करार दिया है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि इस सरलीकरण के माध्यम से सरकार अपने खास मित्रों को लाभ पहुंचाना चाहती है। सरकार की नीयत पर इसलिये सवाल उठने लगे हैं क्योंकि इस सरकार में सबसे पहले लैण्ड सीलिंग एक्ट में संशोधन लाकर बेटियों को अधिकार देने की बात की है और यह संशोधन 1972 से ही लागू हो जायेगा जब से यह कानून बना था। अभी इस संशोधन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति शायद नहीं मिल पायी है। इस संशोधन के बाद सरकार ने धारा 118 में संशोधन करके धार्मिक संगठनों को यह छूट दे दी कि वह अपनी जमीन बेच सकते हैं। विपक्ष ने विधानसभा में इसका विरोध किया था। इसी के साथ सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को 40 हेक्टेयर जमीन कुछ व्यवसायीयों को बेचने का काम कर दिया जो उच्च न्यायालय के दखल के बाद रुका। इस पृष्ठभूमि में यदि देखा जाये तो प्रस्तावित सरलीकरण पर शंकाएं उभरना स्वभाविक हो जाता है। क्योंकि लैण्ड सीलिंग एक्ट 1972 में पारित हुआ था। इसके मुताबिक प्रदेश में कोई भी व्यक्ति 161 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता। यदि उसकी सारी जमीन काश्त योग्य न हो तो अन्यथा यह सीमा और भी कम है।

1972 से लागू हुये इस कानून के मुताबिक तो आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिये जिसके पास तय भूमि सीमा से अधिक जमीन हो। लेकिन अब जब सुक्खू सरकार ने लैण्ड सीलिंग एक्ट में संशोधन करके बेटियों को हक देने की बात की तो निश्चित है कि सरकार के संज्ञान में ऐसे मामले आये होंगे जहां व्यक्ति के पास भू-सीमा से अधिक जमीन है और उसके वारिसों में सिर्फ बेटियां ही है। जिन्हें लैण्ड सीलिंग एक्ट के तहत दिये जाने का प्रावधान करने की आवश्यकता आन पड़ी हो। क्योंकि सामान्य नियमों के अनुसार तो बेटियों को बाप की जमीन में हक हासिल ही है। लेकिन सरकार ने लैण्ड सीलिंग एक्ट में संशोधन करते समय इस आश्य का कोई सर्वे सामने नहीं लाया है। क्योंकि यदि आज किसी के भी पास तय भू-सीमा से अधिक जमीन है तो संबंधित राजस्व और प्रशासन अधिकारियों के खिलाफ कारवाई करनी पड़ेगी कि आज पचास वर्षो में भी इस कानून की अनुपालना क्यों नहीं हुई? इसी तरह जब इसी तरह जब धार्मिक संगठनों को जमीन बेचने की अनुमति दी गयी तब भी लैण्ड सीलिंग एक्ट और भू-राजस्व की धारा 118 के प्रावधानों को नजरअन्दाज कर दिया गया। यह प्रश्न अपनी जगह खड़ा रहा कि क्या धार्मिक संगठन को दान में मिली हुई जमीन को बेचने का हक होना चाहिये।

हिमाचल की सामाजिक और भौगोलिक स्थितियों को देखते हुये ही लैण्ड सीलिंग एक्ट लाया गया था। 1953 के ''बड़ी जिम्मेदारी उन्मूलन एक्ट'' के तहत भी लाखों बीघा जमीन सरकार के पास आयी है क्योंकि करीब दो दर्जन पहाड़ी रियासतों का प्रदेश रहा है हिमाचल और जिसका भूलगान सौ रूपये या उससे अधिक था वह सब बड़े जिम्मेदारों की परिभाषा में और उनकी सरप्लस जमीने सरकार में विहित हुई। लेकिन उन जमीनों का क्या हुआ इसके ऊपर सरकारें आज तक खामोश हैं। आजादी के दौरान विस्थापित हुए लोगों की संपत्तियों के लिये कानून बना था। हर प्रदेश में इसके कार्यालय थे। जब यह कानून भारत सरकार ने निरस्त कर दिया तब इसके तहत लंबित मामले राजस्व सरकारों में विहित हो गये थे। इसमें भी भारी भू संपत्तियां हिमाचल सरकार को मिली है जिनके बारे में कुछ भी सार्वजनिक नहीं हो पाया है। हिमाचल में धारा 118 के दुरुपयोग को लेकर प्रदेश की सरकारों पर हिमाचल को बेचने के आरोप लगातार लगते आये हैं। धारा 118 के दुरुपयोग को लेकर प्रदेश में आज तक चार जांच आयोग बैठ चुके हैं। हरेक की रिपोर्ट हजारों पन्नों में है। लेकिन इन जांच रिपोर्टो पर क्या कारवाई हुई है इसकी आज तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। धूमल सरकार के दौरान सदन में एक प्रश्न आया था की धारा 118 के तहत किस-किस को अनुमति मिली है। उसके जवाब में सदन में सौ पृष्ठों का उत्तर आया था और उसमें सैकड़ो लोगों के नाम थे जिनमें प्रदेश सरकार के कई बड़े नौकरशाहों के नाम भी आये हैं। हिमाचल में कई बड़े नौकरशाहों ने धारा 118 के तहत कई बार जमीन खरीद की अनुमतियां ली है और बेची हैं। क्योंकि धारा 118 में यह सबसे बड़ी कमी है कि कोई आदमी इसके तहत है कितनी बार और कितनी जमीन खरीद की अनुमतियां ले सकता है इसको लेकर नियम खामोश है और इसलिये इसका खुलकर दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन कोई भी सरकार इस कमजोरी को दूर करने का प्रयास नहीं कर पायी है। इसलिये हर सरकार की नीयत पर इस संबंध में सवाल उठते रहे हैं।

पंचायत चुनाव के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे मुख्यमंत्री:जयराम

शिमला/शैल। शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायत के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री और सरकार के नेता प्रदेश को लोगों और सभी हित धारकों को गुमराह कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जितनी भी प्रक्रिया अब तक सामने आयी है सब की सब चुनाव टालने की प्रक्रिया ही है।

जब विपक्ष ने सवाल उठाया तो मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री ने कहा कि चुनाव समय पर होंगे? अब पूरा प्रदेश यह जानना चाहता है कि जब आरक्षण रोस्टर ही समय से नहीं आयेगा तो समय पर चुनाव कैसे होंगे? क्या प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय के फैसले की अवमानना करेगी? न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि चुनाव प्रक्रिया होने से कम से कम तीन महीने पहले ही आरक्षण रोस्टर लगाया जाये जिससे किसी व्यक्ति को यदि आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति हो और वह उसे न्यायायल में चुनौती देना चाहे तो चुनौती दे सके। इससे संबंधित व्यक्ति आरक्षण रोस्टर के खिलाफ अदालत में अपील कर सकेगा और न्यायालय को भी आरक्षण रोस्टर पर मिलने वाली अपील के निपटारे के लिए वक्त मिलेगा।

जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि उन्हें चुनाव करवाना है तो समय पर चुनाव करवाये नहीं तो प्रदेश के लोगों के सामने अपनी नाकामी स्वीकारे। विपक्ष पर इधर-उधर के आरोप लगाना बंद करें। वर्तमान स्थिति से स्पष्ट है किअभी तक सरकार आरक्षण रोस्टर जारी नहीं कर पायी है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के बजाये पूरा सरकारी तंत्र चुनाव रोकने में मशगूल है।

डिजिटल गवर्नेंस अभियान के तहत 100 कार्यालयों को ई–ऑफिस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की सराहना की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार के डिजिटल गवर्नेंस सुधारों के अनुरूप, लोक निर्माण विभाग के 100 कार्यालयों को ई–ऑफिस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए विभाग की सराहना की है। उन्होंने निर्धारित समय–सीमा के भीतर कार्यालयों में ई–ऑफिस आरम्भ करने में लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब फाइलों का संचालन प्रमुख अभियन्ता से सचिव स्तर तक, सचिव कार्यालय से लोक निर्माण मंत्री के कार्यालय तक और इसके पश्चात मुख्यमंत्री कार्यालय तक ई–ऑफिस के माध्यम से सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग में आंतरिक संचार भी अब आधिकारिक ई–मेल के माध्यम से हो रहा है, जिससे कार्य में अनावश्यक विलंब में कमी आई है। इस डिजिटल परिवर्तन से तय समय सीमा के भीतर और पूर्ण पारदर्शिता से फाइलों का संचालन, किसी भी स्तर पर लंबित फाइलों की वास्तविक समय पर दृश्यता और आधिकारिक अभिलेखों की आसान निगरानी और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि जहां डिजिटलीकरण आमतौर पर शीर्ष स्तर पर आसान और क्षेत्रीय स्तर पर अधिक चुनौतीपूर्ण होता है, वहीं लोक निर्माण विभाग ने अधिषाशी अभियन्ता स्तर तक ई–ऑफिस को सफलतापूर्वक लागू किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम सरकार के जवाबदेह और प्रौद्योगिकी–संचालित शासन के दृष्टिकोण के अनुरूप एक महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह डिजिटल परिवर्तन विभाग को अधिक पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ही विभाग ने निर्धारित समय सीमा के भीतर विभाग को डिजिटल बनाने का लक्ष्य हासिल किया है।

लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने बताया कि कुल 100 कार्यालयों ने ई–ऑफिस पर काम करना शुरू कर दिया है। इसमें प्रमुख अभियन्ता स्तर का एक कार्यालय, पांच मुख्य अभियंता जोन कार्यालय, अधीक्षण अभियंताओं के नेतृत्व वाले 19 वृत्त कार्यालय और कार्यकारी अभियंताओं के नेतृत्व वाले 58 मंडल स्तर के कार्यालय शामिल हैं। विद्युत अनुभाग के अंतर्गत दो वृत्त कार्यालय और पांच मंडल स्तर के कार्यालय ई–ऑफिस के माध्यम से कार्य कर रहे हैं जबकि यांत्रिक अनुभाग के अंतर्गत दो वृत्त कार्यालय और चार मंडलीय कार्यालय अब डिजिटल हो गए हैं। इसके अतिरिक्त शिमला स्थित मुख्य वास्तुकार कार्यालय, मंडी और धर्मशाला स्थित वास्तुकार कार्यालय और एक बागवानी मंडल भी ई–ऑफिस पर काम कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष ने राज्यपाल को अंतरराष्ट्रीय रेणुकाजी मेले के समापन समारोह में आमंत्रित किया

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष और श्री रेणुकाजी विकास बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार तथा उपायुक्त सिरमौर और बोर्ड की उपाध्यक्ष प्रियंका वर्मा ने राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेला–2025 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया। यह मेला 31 अक्तूबर से 5 नवंबर, 2025 तक सिरमौर जिले की पवित्र रेणुकाजी मंदिर स्थल पर आयोजित किया जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को मेले के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विकासात्मक गतिविधियों से अवगत कराया। यह मेला राज्य के सबसे महत्त्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है और हर साल हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है।

राज्यपाल ने क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और ऐसे उत्सवों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्री रेणुकाजी विकास बोर्ड और जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने मेले के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं।

बजट घोषणाओं को शीघ्रता से धरातल पर उतारने के निर्देश:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2025–26 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारा जाए, ताकि आम जनता को अधिकतम लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण, हरित ऊर्जा, पर्यटन, डाटा स्टोरेज तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाओं को देखते हुए आगामी समय में और भी जनहितकारी योजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि विकासात्मक परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के पास धन और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने सभी विभागों को अधूरी परियोजनाओं को तीव्र गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, किसानों और बागवानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जा रहा है। किसानों को अधिक लाभ प्रदान करने के लिए कोल्ड स्टोरेज तथा प्रोसेसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक उत्पादों के प्रमाणन और विपणन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को 'हिम–ईरा' ब्रांड के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे इन समूहों की आय में बढ़ोतरी हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस दिशा में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक राजीव गांधी डे–बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं तथा प्रथम चरण में 100 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर आधारित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों को अत्याधुनिक मशीनों और उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है तथा चिकित्सा तकनीक को निरंतर उन्नत किया जा रहा है ताकि प्रदेश के भीतर ही लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने कार्यो का डिजिटलीकरण दिसंबर माह तक पूर्ण करें और आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग कर जनता तक सेवाओं की त्वरित पहुंच सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि बजट घोषणा के अनुरूप हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में ड्रोन स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं तथा संबंधित विभागों को इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को भाई दूज की शुभकामनाएं दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को भाई दूज की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भाई दूज का पर्व भाई–बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों को तिलक कर उनकी लंबी उम्र, सुख–समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हैं। साथ ही यह पर्व भाई और बहन के बीच स्नेह और विश्वास को और मजबूत बनाने का संदेश देता है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से इस भाईचारे और पारिवारिक मेलजोल को बढ़ाने का आग्रह किया और सभी के जीवन में खुशहाली, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की।

आम जनता की सुविधा के लिए पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह की ऑनलाइन बुकिंग :मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश की जनता की सुविधा के लिए सरकार ने सराहनीय कदम उठाते हुए लोक निर्माण विभाग के सभी विश्राम गृहों की बुकिंग को न केवल ऑनलाइन माध्यम द्वारा सुनिश्चित किया है बल्कि यह भी तय किया है कि कमरों की बुकिंग के साथ–साथ कमरा नम्बर भी तुरन्त लोगों को उनके मोबाइल या ई–मेल पर उपलब्ध हो।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बताया कि पहले आम जनता के लिए लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों की बुकिंग आसानी से नहीं प्राप्त होती थी। वर्तमान सरकार ने यह निर्णय लिया कि सभी विश्राम गृहों की बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी, ताकि आम जनता इस सुविधा से लाभान्वित हो सके।

पूर्व में विश्राम गृहों की बुकिंग केवल ऑफलाइन होती थी, लेकिन जून 2025 से सभी विश्राम गृहों की बुकिंग ऑनलाइन कर दी गई। इससे न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है, बल्कि राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम ''व्यवस्था परिवर्तन'' की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में सभी छोटे और बड़े कार्यालय डिजिटल हों ताकि लोगों को घर–द्वार पर ही सभी सुविधाएं मिल सकें।

लोक निर्माण विभाग के सचिव अभिषेक जैन ने बताया कि जून, 2025 से 10 अक्तूबर तक विश्राम गृहों की ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से दो करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि इसी दौरान प्रदेश प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा था।

उन्होंने कहा कि अब बुकिंग ''पहले आओ, पहले पाओ'' के आधार पर हो रही है और तुरंत इसकी पुष्टि की जाती है। इस वर्ष जून माह से अब तक प्रतिदिन 276 विश्राम गृहों और 1000 से अधिक कमरों की बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से हुई है। बुकिंग के लिए 50 प्रतिशत अग्रिम राशि ली जाती है, जिसके तहत हिमाचली नागरिकों के लिए 250 रुपये तथा गैर–हिमाचली के लिए 500 रुपये अग्रिम भुगतान का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि इस पहल से विश्राम गृहों की बुकिंग में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर विश्राम गृह के कमरे पहले औसतन 62 प्रतिशत तक भरे रहते थे और यह प्रतिशतता अब ऑनलाइन सुविधा शुरू होने से 85 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है। इसी प्रकार, तारा देवी विश्राम गृह की बुकिंग औसतन 30 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत, धर्मशाला विश्राम गृह की बुकिंग औसतन 50 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत तथा घुमारवीं विश्राम गृह की बुकिंग औसतन 30 प्रतिशत से बढ़कर 66 प्रतिशत हो गई है।

अभिषेक जैन ने बताया कि वे स्वयं विश्राम गृहों का दौरा कर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इनका सही तरीके से रख–रखाव हो और आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाओं के साथ–साथ गुणवत्तापूर्ण भोजन भी नियमित रूप से उपलब्ध हो।

शिमला में मैक्स अस्पताल ने लगाया नि:शुल्क मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप

शिमला/शैल। शिमला के माल स्थित इंदिरा गांधी खेल परिसर में मैक्स अस्पताल के नि:शुल्क मेडिकल हैल्थ चेकअप कैंप में 150 लोगों की जांच की गई। विधायक हरीश जनारथा ने शिविर का उद्घाटन किया।

यह कैंप नियमित मेडिकल हेल्थ चेकअप, शीघ्र निदान और दीर्घकालिक बीमारियों से बचाव हेतु जीवनशैली में बदलाव के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था।

कैंप के दौरान, मैक्स अस्पताल के ऑर्थो और इंटरनल मेडिसिन की एक एक्सपर्ट टीम ने जॉइंट पेन इवैल्यूएशन, बोन डेंसिटी की जांच, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, बीएमआई विश्लेषण और अन्य महत्वपूर्ण जांच सहित विस्तृत हेल्थ इवैल्यूएशन किया।

एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मैक्स हॉस्पिटल, मोहाली डॉ. पिनाक मौदगिल ने कहा, हमारा लक्ष्य हेल्थ सेवाओं को अस्पताल की चारदीवारी से बाहर निकालकर लोगों तक पहुंचाना हैं। नियमित हेल्थ जांच गंभीर बीमारियों का जल्द पता लगाने और उनकी रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर और जॉइंट समस्याओं जैसी अधिकांश जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का समय पर पता लगाकर और समय पर उपचार करके प्रबंधन किया जा सकता है या उन्हें रोका भी जा सकता है। ऐसे शिविरों के माध्यम से, हमारा उद्देश्य लोगों को उनकी हेल्थ स्थिति के बारे में अधिक जागरूक बनाना और उन्हें दीर्घकालिक हेल्थ के लिए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक– बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

मुख्यमंत्री ने बड़सर अस्पताल में बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए बड़सर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में अगले शैक्षणिक सत्र से सीबीएससी कक्षाएं आरम्भ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब तक 20 सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड की मान्यता दी गई है।

उन्होंने बड़सर अस्पताल में बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय के कैंसर केयर संस्थान पर 300 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। उन्होंने बड़सर में इन्डोर स्टेडियम और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने स्थानीय कॉलेज में एमए और एमकॉम की कक्षाएं आरम्भ करने और क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों और मुख्य बाजारों में सोलर लाइटें और हाइमॉस्ट लाइटें लगाने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हमीरपुर में 7 विशेषज्ञ विभाग बनाने के लिये 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला की सभी सड़कों को डबल लेन किया जा रहा है और सलौणी-दियोटसिद्ध सड़क के लिए 37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 96 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। बाबा बालक नाथ तीर्थस्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए 65 करोड़ रुपये

की योजना स्वीकृति की गई है।

उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए नाममात्र का बजट दिया था जबकि वर्तमान सरकार ने इसका निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए 16.50 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध करवाया। प्रदेश सरकार ने फर्नीचर और लाइब्रेरी के लिये भी धन आवंटित किया है।

इससे पहले, बड़सर पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान बड़सर विधानसभा क्षेत्र में 41.52 करोड़ रुपये की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए।

मुख्यमंत्री ने 1.34 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बम्बलू हेलीपैड, 17.45 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मिनी सचिवालय बड़सर और 1.11 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन बणी का लोकार्पण किया। उन्होंने 18.72 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले धनेटा-बड़सर सड़क और बड़सर तहसील में मान खड्ड पर 2.88 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाले चेकडैम का शिलान्यास भी किया।

उपमण्डलाधिकारी बड़सर राजेंद्र गौतम और उनके कार्यालय स्टाफ ने मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को 51 हजार रुपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिये दिया। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश धर्मस्थल कर्मचारी संघ दियोटसिद्ध के पदाधिकारियों ने 1.04 लाख रुपये, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोटा के स्टाफ व विद्यार्थियों ने 61 हजार रुपये, बेरोजगार संघ ने 51 हजार रुपये, हिमाचल कल्याण संस्था ने एक लाख रुपये तथा डिग्री कॉलेज ऊना के विद्यार्थियों ने 2.21 लाख रुपये के चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए दान किये।

युवाओं को विदेशों में सुरक्षित रोजगार से जोड़ेगी सरकार:उप – मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल सरकार युवाओं को विदेशों में सुरक्षित रोजगार से जोड़ेगी। ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर रोजगार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है, प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित करने की

दिशा में निर्णायक पहल की है कि हमारे युवाओं को विदेशों में सुरक्षित, कानूनी और भरोसेमंद माध्यमों से रोजगार मिलना सुनिश्चित हो।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वयं जिम्मेदारी लेकर युवाओं को विदेश भेजने की पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बना रही है, ताकि किसी को भी ठगी, धोखे या असुरक्षा की स्थिति का सामना न करना पड़े। यह कदम प्रदेश सरकार की 'हर युवा को हुनर, हर हुनर को अवसर' की प्रतिबद्धता का परिणाम है।

उप-मुख्यमंत्री पालकवाह में आयोजित हिमाचल सरकार की 'ओवरसीज रिक्रूटमेंट ड्राइव' की श्रृंखला के राज्यस्तरीय कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है और यह पहल उसी दिशा में एक ठोस कदम है। विदेशों में उपलब्ध विभिन्न ट्रेड्स में नौकरियों की मांग के अनुसार युवाओं का चयन किया जाएगा, ताकि कौशल और अवसर का सही समन्वय सुनिश्चित हो सके।

अग्निहोत्री ने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी होती थी। माता-पिता अपने जीवन की गाढ़ी कमाई खर्च कर बच्चों को बाहर भेजते थे, पर अवैध तरीके और जालसाजी से ठगे जाते थे। अब हिमाचल सरकार ने तय किया है कि युवाओं को सुलभ, सस्ते और कानूनी तरीके से विदेश भेजा जाएगा।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा यह सरकार का सबसे सुरक्षित, कानूनी और पारदर्शी तरीका है, जिससे हिमाचल के युवा अपने कौशल के अनुरूप विदेश में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। विदेशों में स्किल की मांग है और हिमाचल प्रदेश के युवा इससे लाभान्वित होंगे। इस पहल से रोजगार कार्यालय की कार्यप्रणाली में नवाचार आएगा और युवाओं को हर संभव सहायता मिलेगी।

अग्निहोत्री ने विभाग से इस अभियान को और विस्तारित करने तथा युवाओं की हर संभव मदद सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने युवाओं से ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने और डेटा सुरक्षा के प्रति सतर्कता बरतने का भी आहवान किया।

इस अवसर पर उन्होंने चार चयनित युवाओं को प्रोविजनल ऑफर लेटर भी प्रदान किए।

यह कार्यक्रम श्रम, रोजगार एवं ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग और राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। यह इस कड़ी का दूसरा आयोजन था जिसकी 9 अक्तूबर को हमीरपुर से शुरूआत की गई थी।

पालकवाह में ट्रेलर चालक के 100 पदों के लिए प्रदेश के 457 युवाओं ने भाग लिया। अभ्यर्थियों की अंग्रेजी कौशल क्षमता का परीक्षण पालकवाह सभागार परिसर एवं ड्राइविंग टेस्ट कांगड़ मैदान में लिया गया। चयनित अभ्यर्थियों को दुबई के जेबेल अली पोर्ट में नियुक्ति मिलेगी। उन्हें 2,250 यूएई दिरहम (लगभग 52,000 रुपये) मासिक वेतन, आवास, ओवरटाइम और अन्य भत्तों की सुविधा मिलेगी।

कार्यक्रम में प्रदेश के श्रम आयुक्त डॉ. वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि यह पहली बार है जब प्रदेश सरकार ने युवाओं को विदेश भेजने के लिए औपचारिक नीति बनाई है। विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित फीस के अनुसार युवाओं को बाहर भेजा जाएगा।

उन्होंने बताया कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विदेश में भेजे जाने वाले युवाओं को कोई कठिनाई या ठगी का सामना न करना पड़े। इसके लिए समर्पित हेल्पलाइन स्थापित की जा रही है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम एक सॉफ्टवेयर भी विकसित कर रहा है, जिससे युवा अपनी शिकायतें और समस्याएं सीधे साझा कर सकेंगे।

इस अवसर पर जिला श्रम एवं रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा, एसडीएम हरोली विशाल शर्मा सहित अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में अभ्यार्थी और स्थानीय युवा उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन – 2025 का किया विमोचन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 'हिमाचल प्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन-2025' (हि. प्र. ह्यूमन डेवलेपमेंट रिपोर्ट) का विमोचन करते हुए कहा कि यह दस्तावेज प्रदेश की प्रगति, दृढ़ता और

जनता की आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह प्रतिवेदन प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु चुनौतियों के बावजूद यहां के निवासियों की दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत के बल पर अनुकरणीय विकास गाथा को प्रस्तुत करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि मानव विकास प्रतिवेदन-2025 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का मानव विकास सूचकांक औसत 0.78 है, जो राष्ट्रीय औसत 0.63 से अधिक है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण साक्षर राज्य की उपलब्धि हासिल की है तथा प्रदेश की साक्षरता दर 99.30 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में आये राष्ट्रीय सर्वेक्षण में हिमाचल में पढ़ने-लिखने का स्तर बेहतरीन आंका गया है। सर्वेक्षण में हिमाचल को देश में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है जबकि वर्ष 2021 में हिमाचल 21वें स्थान पर था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार जीवित जन्मे शिशुओं पर 21 रह गई है जो हमारे स्वास्थ्य तंत्र की सफलता को दर्शाता है।

सुक्खू ने कहा कि हमने न केवल सड़कों, उद्योगों, कृषि और बागवानी में निवेश किया है बल्कि भविष्य की नींव को आदर्शवादी और मजबूत बनाने के उद्देश्य से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, वृद्धजन देखभाल और ग्रामीण विकास जैसे मूलभूत क्षेत्रों में भी निवेश किया है। प्रदेश में औसत आयु बढ़कर 72 वर्ष हो गई है जो हमारे स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र की सफलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीबी दर में भारी गिरावट आई है, जो सात प्रतिशत से भी नीचे है। यह सब प्रदेश सरकार के सर्वांगीण और समावेशी विकास के निरंतर प्रयासों को प्रतिबिंबित करता है।

मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज यह एक गम्भीर समस्या बनकर उभरी है और यदि इस समस्या का स्थायी समाधान तुरन्त नहीं खोजा गया तो इसके गंभीर परिणाम हमें और भावी पीढ़ी को झेलने पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश हमेशा पर्यावरणीय हितैषी विकास का पक्षधर रहा है और हमने सतत् विकास प्रणाली को अपनाया है। उन्होंने कहा कि हमने कभी अपने वनों, नदियों, पहाड़ों का अनुचित दोहन नहीं किया लेकिन जलवायु परिवर्तन का असर स्थान विशेष तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे विश्व को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बरसात में हम जलवायु परिवर्तन के गम्भीर परिणामों को भुगत चुके हैं। इस दौरान हमने भारी बारिश, भू-स्खलन और बाढ़ के कारण कई बहुमूल्य जीवन खोए हैं तथा सम्पत्ति को भी भारी नुकसान हुआ। वर्तमान में प्रदेश के पर्वत, नदियां, वन और ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित हो रहे हैं, जिस कारण हमें अतिवर्षा, बाढ़ और भू-स्खलन जैसी गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।

सुक्खू ने कहा कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्व को एक परिवार की तरह देखते हुए पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को साथ-साथ आगे बढ़ना होगा। हमें भविष्य में मानव केन्द्रित और जलवायु सहनशील होना होगा, तभी हमारी भावी पीढ़ी सुरक्षित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना आरम्भ की है। इसके पहले चरण के तहत युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना के तहत 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की भू-स्थलीय सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में पांच प्रतिशत और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश ने एक मजबूत ई-वाहन नीति अपनाने वाला पहला पर्वतीय राज्य बनकर उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारा लक्ष्य है 2030 तक सार्वजनिक परिवहन को विद्युत चालित बनाया जाए।

विभाग के सचिव सुशील कुमार सिंघला ने रिपोर्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं यूएनडीपी की सीनियर इकॉनोमिस्ट ऐमी मिश्रा ने रिपोर्ट पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

यूएनडीपी की प्रतिनिधि डॉ. एंजेला लुसिगी ने हरित बजट, जलवायु संवेदनशील कार्यक्रमों के अलावा सतत् विकास और पर्यावरण केन्द्रित सुनियोजित निर्माण कार्यों पर आधारित नीतियों और भागीदारीपूर्ण शासन की दिशा में पहल के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की।

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा, सातवें राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष नंद लाल विधायक सुरेश कुमार एवं मलेंद्र राजन, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, प्रधान सचिव देवेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अपने मिशन में अटूट विश्वास से प्रेरित दृढ़ निश्चयी लोगों का एक छोटा समूह इतिहास की दिशा बदल सकता है।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

इस बढ़ते कर्ज का अन्तिम परिणाम क्या होगा?

सुक्खू सरकार ने अभी दो सौ करोड़ का कर्ज लिया है। यह कर्ज लेने के बाद अगले दो माह में यह सरकार तीन सौ करोड़ का कर्ज और ले पायेगी। यह कर्ज लेने के बाद प्रदेश का कर्जभार एक लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर जायेगा। अभी जो कर्ज लिया गया है इसकी भरपायी अक्तूबर 31 से शुरू होगी। अभी जो कर्ज लिया गया है उसी के साथ यह भी सामने आया है कि इस सरकार ने पिछले वर्ष 2024-25 में करीब 29000 करोड़ का कर्ज लिया था जिसमें से विकास कार्यो पर केवल 8693 करोड़ ही खर्च हुआ और 20000 करोड़ पिछला कर्ज चुकाने में ही खर्च हो गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले समय में कर्ज की किस्त और ब्याज चुकाने के लिये भी कर्ज ही लेना पड़ेगा। हिमाचल जैसे राज्य पर इतना कर्जभार निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है। क्योंकि जिस अनुपात में यह कर्ज बढ़ रहा है उसी अनुपात में सरकार में स्थायी रोजगार कम होता जा रहा है। जबकि हिमाचल में सरकार ही सबसे बड़ी रोजगार प्रदाता है। इस बढ़ते कर्जभार के कारण सरकार आउटसोर्स, मल्टी टास्क वर्कर और वन मित्र तथा पशु मित्र जैसी रोजगार व्यवस्थाएं करने पर आ गयी है जहां दस हजार से भी कम पगार मिलेगी। इससे अन्ततः युवाओं में हताशा और रोष का वातावरण निर्मित होगा। 2009-10 में सरकार आउटसोर्स योजना लेकर आयी है। उस समय प्रदेश में 189065 स्थायी, 13050 आंशकालिक, 2167 वर्कचार्ज और 11908 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे। आज यह संख्या नियमित 185698 आंशकालिक 5726, वर्क चार्ज शून्य और दैनिक वेतन भोगी 4593 रह गये हैं। 31 मार्च 2010 को सरकार का कर्जभार सीएजी के मुताबिक 15830 करोड़ था जो अब एक लाख करोड़ हो रहा है। आज आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या 45000 के पास पहुंच चुकी है। इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है की कर्ज और कर्मचारियों के इसी अनुपात से आगे चलकर सरकार में स्थायी रोजगार की स्थिति क्या हो जायेगी।

इसी में एक महत्वपूर्ण पक्ष यह सामने आया है कि सरकार ने 2024-25 में 29046 करोड़ का कर्ज लिया। 2024-25 के बजट का कुल आकार 58443.61 करोड़ था। 2024-25 में राजकोषीय घाटा 10783.87 करोड़ था। बजट के इन आंकड़ों के अनुसार इस बजट को पूरा करने के लिये 10783.87 करोड़ का ही कर्ज लिया जाना चाहिये था जबकि सरकार ने 29046 करोड़ का कर्ज ले लिया। यह ज्यादा कर्ज क्यों लेना पड़ा? क्या विधानसभा पटल पर रखे बजट आंकड़े सही नहीं थे? क्या राज्य की समेकित निधि से अधिक खर्च करना पड़ा है? इन सवालों पर सरकार खामोश है। लेकिन इन आंकड़ों से बजट की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह आ जाता है। यहां यह सवाल स्वभाविक रूप से बड़ा हो जाता है कि जब 31 मार्च 2010 को सरकार का कुल कर्जभार 15830 करोड़ था वह आज एक लाख करोड़ तक कैसे पहुंच गया? जबकि कुल कर्मचारियों की संख्या आज उससे कम है? इस कर्ज का निवेश कहां पर हुआ है और उससे प्रदेश के राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है? क्योंकि आज इस सरकार ने तो कार्यभार संभालते ही यह चेतावनी दे दी थी कि प्रदेश के हालात कभी भी श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। इतने कर्ज के बाद भी सरकार की कर्मचारियों के प्रति देनदारियां बनी हुई है। यहां तक पैन्शन और मेडिकल के बिलों के लिये कर्मचारियों को आये दिन सड़कों पर आना पड़ रहा है।

इस बढ़ते कर्जभार के कारण सरकार को अपने प्रतिबद्ध खर्चो पर कटौती करनी पड़ेगी और उस कटौती का पहला शिकार सरकार में स्थायी रोजगार की उपलब्धता होगी आज सरकार ने राजस्व जुटाने के लिये हर वर्ग और सेवा को निशाना बना रखा है। प्रक्रियाओं को सरलीकरण के नाम पर लगातार उलझाया जा रहा है। सरकारी राशन की दुकानों पर पूरा राशन नहीं मिल रहा है और इस राशन की कीमतों में पिछले तीन वर्षो में दो गुणे से भी ज्यादा वृद्धि हुई है। आपदा में राहत का बंटवारा सरकार की घोषणाओं से निकलकर अमली शक्ल लेने तक नहीं पहुंच पाया है। यहां तक की भारत सरकार से जो आपदा राहत प्रदेश सरकार को मिल चुकी है वह भी यह तंत्र आम प्रभावित तक नहीं पहुंचा पाया है। कुल मिलाकर सरकार की नीयत और नीति दोनों पर सवाल उठने शुरू हो गये हैं यह स्थिति सरकार की सेहत के लिये खतरे का संकेत होती जा रही है।

आधुनिक युग में बिदत को कट्टरवादी नहीं उदारवादी नजरिए से देखने की जरूरत है

गौतम चौधरी

आधुनिक दुनिया का इस्लाम एक नए उहापोह से ग्रस्त है। अरब में उत्पन्न इस्लाम की नयी विचारधारा, या इसे ऐसा कहें कि इस्लाम की नयी क्रांति ने पूरी दुनिया को विभ्रम में डाल दिया है। यह विभ्रम केवल इस्लाम के अनुयायियों के लिए ही नहीं है, अपितु उन लोगों के लिए भी एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत है, जो इस्लाम को जानना और समझना चाहते हैं। इसे सतही तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे वही साम्राज्यवादी ताकत काम कर रही है, जिसने कभी दुनिया को गुलाम बनाने के इरादे से यूरोप की सीमाओं को लांघा था। खैर, इसकी चर्चा बाद में होगी लेकिन इस्लाम के कई विवादास्पद शब्दों और उसकी व्याख्याओं में से एक शब्द बिदत है, जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। आधुनिक युग में बिदत शब्द जितना विवादास्पत इस्लाम का कोई अन्य शब्द नहीं जान पड़ता है। इस्लाम के अनुयायियों के लिए बिदत की समझ जितनी जरूरी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा अन्य लोगों को इसकी समझ होनी चाहिए। मसलन, कुछ स्थानों पर तो इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है। इस शब्द का उपयोग पूरे समुदायों या प्रथाओं को गलत ठहराने के लिए उपयोग में लाया जाना बेहद खतरनाक है। सबसे पहले बिदत का पारंपरिक अर्थ समझ लें। यह शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान में इस शब्द का उपयोग हुआ है। कुल मिलाकर, इस्लामी परंपरा में इसका मतलब, ऐसा नया धार्मिक कार्य या विश्वास जो कुरान, सुन्नत या शुरुआती मुस्लिम समुदाय के समझ के आधार पर न हो। हालांकि कुछ जानकार इसे धार्मिक नवाचार के रूप में देखते हैं, जो परंपरा को आधुनिक यथार्थ से जोड़ता है। इसका सीधा अर्थ है, वह कुप्रथा जो इस्लाम के लिए जायज नहीं है। वैसे मूल रूप में, बिदत बुरा या गलत नहीं है। इस्लामिक इतिहास में कुछ ऐसी भी घटनाएं घटी है, जो बिदत होने के बाद भी इस्लाम का महत्वपूर्ण अंग बन गया लेकिन आज कुछ धार्मिक नेता इस मामले को इसलिए भी तूल दे रहे हैं क्योंकि इससे उनके व्यक्तिगत हित सध रहे हैं।

अब थोड़ा विस्तार से इस पर व्याख्या प्रस्तुत होनी चाहिए। धार्मिक मामलों के जानकार, बरेलवी फिरके के मुफ्ती तुफैल खान कादिरी साहब फरमाते हैं, ''एक स्थान पर पैगंबर ने कहा है - जो हमारे इस धर्म में ऐसी कोई चीज़ जो इसमें न हो, लाएगा, वह रद्द कर दी जाएगी सही है। बुख़ारी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा - जो कोई इस्लाम में कोई अच्छी पहल करता है, उसे और उसके अनुयायियों को इसका फल मिलेगा। सही मुस्लिम। अगर हम एक बात को लेकर दूसरी को नजरअंदाज कर दें तो पैगंबर की संतुलित हिदायत को समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसी भी धर्म या चिंतन को मुकम्मल तौर पर समझने की जरूरत होती है। यदि आप टुकड़ों में उसकी व्याख्या करते हैं तो समाज के लिए घातक साबित होता है।''

मुफ्ती साहब फरमाते हैं, ''साथी सहाबा ने भी बिदत को काले और सफेद जैसा नहीं माना। उदाहरण के तौर पर, उमर इब्न अल-ख़त्ताब ने रमज़ान में तरावीह की नमाज़ जब अलग-अलग लोग घरों में पढ़ते देखी, तो उन्हें एक जगह इकठा किया और साफ तौर पर कहा - यह कितनी अच्छी बिदत है! यहां बिदत की तारीफ की गई, न कि निंदा। क्यों? क्योंकि यह धर्म के उद्देश्य के अनुकूल थी, सुन्नत पर आधारित थी और सार्वजनिक भलाई के लिए थी।''

आज कई आधुनिक सलाफी आंदोलन के नहनुमा मानते हैं कि सभी बिदतें गुमराह हैं। वे कहते हैं कि जो पैगंबर या उनके साथी न की हों, वह धार्मिक रूप से गलत है। तब तो उन्हें मोहब्बत, मेला, लाउडस्पीकर से अज़ान या समूह में ज़िक्र जैसे अभ्यास भी नापसंद करने होंगे। हालांकि कुछ नव इस्लामवादी ऐसा भी कह रहे हैं और लोगों को उस दिशा में प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह समझ इस्लाम की उन सिद्धांतों की उपेक्षा करती है जो बदलाव को स्वीकार करते हैं - कियास तर्कसंगत तुलना, मस्लाहा सार्वजनिक हित, 'उर्फ़ रिवायत और इज्मा सम्मति।

अगर हम हर नई चीज़ को खारिज कर दें, तो फिर पवि ग्रंथ कुरान को पैगंबर के बाद एक किताब में संकलित करना, मीनारें बनाना, धार्मिक स्कूल खोलना या प्रार्थना का समय नापने के लिए घड़ी का इस्तेमाल करना इस्लाम का अंग कैसे हो सकता है? इसे आप कैसे सही ठहराएंगे? यदि इन तमाम चीजों को आप अपने साथ नहीं करेंगे तो आधुनिकता से दूर हो जाएंगे फिर इस्लाम का वह आदर्श पूरा ही नहीं होगा जिसके लिए पैगंबर बार बार हेदायत करते हैं। दरअसल, ये तमाम चीजें इस्लाम की आत्मा के अनुकूल है।

कुरान खुद कहता है - और जो कुछ रसूल तुम्हें दे, उसे ले लो और जो कुछ वह तुम्हें मना करे, उससे दूर रहो। अल-ह 59:7 यह आदेश यथार्थपरक पालन की हिदायत देता है, ना कि इसे उदारवादी माना जाना चाहिए। हर नई धार्मिक अभिव्यक्ति को गलत कहना इस्लामी सभ्यता की समृद्धि को नजरअंदाज करना होगा। आधुनिक काल में कला, क़ानून, दर्शन, और संस्थान-जो सभी नए विचारों और नवीनीकरण से विकसित हुए हैं, उसको नकारना बंद कमरे जैसा साबित होगा और इससे इस्लाम कमजोर होता चला जाएगा। इस्लाम के शास्त्रीय न्यायविद जानते थे कि बिदत दोनों प्रकार की होती हैं-जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, वह गलत और जो इनके अनुकूल है, वह सही। इसे रूप में इसे माना भी जाना चाहिए।

इस्लाम के रहनुमाओं को सोचना चाहिए - क्या नई प्रथा हमारे विश्वास के मूल को तोड़ती है? क्या यह शिर्क या गुमराही को बढ़ावा देती है? या यह लोगों को अल्लाह की याद दिलाती है, समुदाय को मजबूत बनाती है और शरिया के उच्च उद्देश्य को पूरे करती है? कुरान कहता है - अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, कठिनाई नहीं। अल-बक़रह 2:185 इस्लामिक चिंतन, समय और स्थान के अनुसार इंसानों को मार्गदर्शन देने के लिए है, न कि उनके विकास को रोकने के लिए।

इस्लाम के अनुयायियों के लिए आगे का रास्ता न तो हर बिदत को मना करने का है और न ही हर नयी चीज़ को बिना समझे अपनाने का। रास्ता है समझदारी का - रिवायत के प्रति ईमानदारी और नयी परिस्थितियों में धर्म की सेवा करने के लिए खुलापन जरूरी है। यही साथी सहाबा की विरासत है, न्यायविदों की बुद्धिमत्ता है और वही सच्चा इस्लाम है जिसने सदियों से लोगों के दिलों पर राज किया है। सच्ची ईमानदारी समय को जमे रहने में नहीं, बल्कि उद्देश्य, स्पष्टता और करुणा के साथ दिव्य मार्गदर्शन के जीवंत अनुभव में है। मुझे लगता है गैर इस्लामिक लोगों को भी बिदत को इसी रूप में देखना चाहिए। यदि इस प्रकार की समझ विकसित हो जाती है तो इस्लाम के मानने वालों को इसका फायदा तो होगा ही साथ ही गैर इस्लामिक जमात को भी इस्लाम के आदर्श को समझने में सहूलियत होगी।

सरकार के प्रयासों से तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का हब बनकर उभर रहा हिमाचल

हिमाचल प्रदेश तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की ओर अग्रसर है। वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य में आयोजित किए गए रोजगार मेलों, संयुक्त प्लेसमेंट ड्राइव और कैंपस भर्तियों के माध्यम से 12,378 युवाओं को रोजगार मिला है। राज्य में अब तक 14,421 से अधिक छात्रों और 1,203 संकाय सदस्यों ने मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज और स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल लर्निंग प्राप्त की है। तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान अब केवल डिप्लोमा और डिग्री प्रदान करने तक ही सीमित नहीं हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में यह क्षेत्र रोज़गार सृजन, औद्योगिक सहयोग, नवाचार और भविष्य के लिए कुशल युवाओं को तैयार कर रहा है।

व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम के तहत वर्तमान सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारवादी निर्णयों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। वर्तमान में परंपरा-आधारित प्रशिक्षण से हटकर ए-आई आधारित अत्याधुनिक पाठ्यक्रमों का युवाओं को ज्ञान दिया जा रहा है। राज्य भर में 348 तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का एक मज़बूत नेटवर्क कार्यरत है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, पॉलिटेक्निक और आईटीआई संस्थान शामिल हैं। सुलह में सरकारी फार्मेसी कॉलेज और जंडौर में सरकारी पॉलिटेक्निक की स्थापना गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा को विस्तार प्रदान कर रही है। तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में भविष्योन्मुखी पाठ्यक्रमों को शुरू किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्नोलॉजी में एम.टेक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मेक्ट्रोनिक्स सहित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 19 आधुनिक व्यावसायिक ट्रेड शुरू किए गए हैं।

राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय स्तर के अनुसार प्रशिक्षुओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जेएलएन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सुंदरनगर के चार स्नातक कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान करना शैक्षणिक उत्कृष्टता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के सहयोग से 11 सरकारी आईटीआई संस्थानों में ड्रोन सेवा तकनीशियन प्रशिक्षण शुरू करना सरकार की भविष्योन्मुखी सोच को प्रदर्शित करता है। संस्थानों द्वारा 128 प्रशिक्षुओं को पहले ही प्रमाणित किया जा चुका है। राज्य के युवाओं के लिए ड्रोन इको सिस्टम तैयार किया जा रहा है।

उद्योग-संस्थान संबंधों को मजबूत करने के लिए विभाग ने औद्योगिक भागीदारों के साथ 170 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के लिए एक प्रणाली तैयार हो रही है। एनएटीएस और एनएपीएस योजनाओं के तहत औद्योगिक टूर के माध्यम से प्रशिक्षुओं को औद्योगिक अनुभव प्रदान किया जा रहा है।

राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके तहत एडीबी द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत, 80.98 करोड़ रुपये की लागत से 50 आईटीआई, एक पॉलिटेक्निक और एक इंजीनियरिंग कॉलेज की मशीनरी और उपकरणों का उन्नयन किया गया है जिससे लगभग 5,880 छात्र लाभान्वित हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, कंप्यूटर, बिजली की बचत करने वाले इनवर्टर, ऑन-ग्रिड सौर संयंत्र और सौर स्ट्रीट लाइट जैसी स्मार्ट सुविधाएं अनेक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्थापित की जा रही है। राष्ट्रीय केंद्रों और वैश्विक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों के क्षमता निर्माण को संस्थागत रूप दिया गया है।

केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत, 36 आईटीआई को 1.20 करोड़ रुपये की लागत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, 89 लाख रुपये की लागत से 10 आईटीआई की आईटी और कोपा प्रयोगशालाओं को 120 आधुनिक कंप्यूटरों से लैस किया गया, 37 आईटीआई में 1.66 करोड़ रुपये की लागत से 10 केवीए बिजली-बचत इनवर्टर, 36.75 लाख रुपये की लागत से तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 25 किलोवाट के अ नग्रिड सोलर प्लांट और 16 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ 11.79 करोड़ रुपये की लागत से 9 वाट की 100 सोलर लाइटें लगाकर इन्हें ऊर्जा कुशल व हरित शिक्षण संस्थान बनाया गया है।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में अभूतपूर्व सुधार किए जा रहे हैं और इन सुधारों के फलस्वरूप प्रदेश के युवा कौशल संवर्धन कर रोजगार प्रदाता के रूप में स्थापित हो रहे हैं। तकनीकी संस्थान कौशल सृजन, रोज़गार सृजन, नवाचार को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को गति देने वाले संस्थानों में बदल रहे हैं। भविष्योन्मुखी पाठ्यक्रमों, सु दृढ़ बुनियादी ढांचे, औद्योगिक एकीकरण और बेहतर प्लेसमेंट परिणामों के साथ, वर्तमान सरकार ने हिमाचल प्रदेश को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में एक आदर्श राज्य बनाने की मज़बूत नींव रखी है।

हिमालय क्षेत्र में सर्दियों की चुनौतियां:कारण,प्रभाव और भविष्य की दिशा

राजन कुमार शर्मा

हिमालय क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढकी चोटियों और शीतल जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। परन्तु यही ठंडा मौसम जब सर्दियों के चरम पर पहुंचता है, तो यह क्षेत्र अनेक गंभीर समस्याओं से जूझने लगता है। बर्फबारी, सड़क बंद होना, बिजली और पानी की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं तथा भूस्खलन जैसी परिस्थितियां वहां के लोगों के लिए जीवन को कठिन बना देती हैं। समस्या: सर्दियों में हिमालयी क्षेत्र पूरी तरह बर्फ की चादर में ढक जाता है। तापमान कई बार शून्य से नीचे चला जाता है। ऐसे में गांवों और शहरों का संपर्क टूट जाता है, परिवहन ठप पड़ जाता है और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बाधित होती है। कारण: इन समस्याओं के पीछे कई कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है - ऊंचाई और भौगोलिक स्थिति, जिसके कारण यहां प्राकृतिक रूप से अत्यधिक ठंड रहती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन ने हिमालयी क्षेत्र की जलवायु को असंतुलित कर दिया है। कहीं असामान्य रूप से अधिक बर्फबारी हो रही है, तो कहीं सूखा पड़ रहा है। वनों की कटाई और असंतुलित पर्यटन एवं निर्माण कार्य ने पर्यावरणीय संतुलन को और बिगाड़ दिया है। प्रभाव: इन परिस्थितियों का सीधा प्रभाव स्थानीय निवासियों के जीवन पर पड़ता है। भूस्खलन और हिमस्खलन से जान-माल की हानि होती है, फसलों और पशुधन का नुकसान होता है तथा ठंड से बीमारियां बढ़ जाती हैं। पर्यटन पर भी इसका असर पड़ता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। समाधान: इन समस्याओं का स्थायी समाधान सतत विकास की नीति में छिपा है। सरकार और समाज को मिलकर हिमालयी क्षेत्रों में मजबूत आधारभूत संरचना विकसित करनी होगी - ऐसी सड़कें, घर और विद्युत व्यवस्था जो ठंड और बर्फ का सामना कर सकें। ग्रीनहाउस खेती, आपदा प्रबंधन तंत्र, और वन संरक्षण जैसे कदम उठाए जाने चाहिए।

साथ ही, सतत पर्यटन नीति बनाकर पर्यावरण की रक्षा करते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जा सकता है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुझाव: भविष्य की पीढ़ियों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रकृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहें। हमें कार्बन उत्सर्जन कम करने, पेड़ लगाने, और स्थानीय पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करने की दिशा में कार्य करना होगा। यदि आज से ही हमने पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले वर्षों में हिमालय की शीत ऋतु केवल सुंदरता नहीं, बल्कि भय का प्रतीक बन सकती है। निष्कर्ष: हिमालय केवल भारत की भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि जल, जीवन और जलवायु का आधार है। सर्दियों की चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्थानीय सहयोग और पर्यावरणीय जागरूकता तीनों का संतुलित मेल ही हिमालय को सुरक्षित रख सकता है। हिमालय केवल भारत की भौगोलिक सीमा का प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे देश की सांस्कृतिक आत्मा, जैव-विविधता का भंडार और करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। इसकी बर्फ से निकलने वाली नदियां उत्तर भारत की जीवनरेखा हैं, और इसका हर पर्वत, हर घाटी पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन आज जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित पर्यटन, वनों की कटाई और अवैज्ञानिक निर्माण जैसी मानव-जनित गतिविधियां इस अमूल्य धरोहर को गंभीर खतरे में डाल रही हैं। सर्दियों की कठोर परिस्थितियों में यहां के निवासियों को न केवल प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि बदलते मौसम के पैटर्न से जुड़ी नई समस्याएं भी उभर रही हैं - जैसे ग्लेशियरों का पिघलना, जलस्रोतों का सूखना और भू-स्खलन की घटनाओं में वृद्धि। इन सबसे निपटने के लिए केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी, और पर्यावरणीय जागरूकता की आवश्यकता है।

वैज्ञानिक शोध हिमालय की संवेदनशील पारिस्थितिकी को समझने में मदद करेगा, स्थानीय समुदायों का पारंपरिक ज्ञान और अनुभव इस क्षेत्र के सतत् विकास की दिशा तय करेगा, और पर्यावरणीय शिक्षा आम जनता में जिम्मेदारी की भावना जगाएगी। इन तीनों का संतुलित समन्वय ही हिमालय को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकेगा। अंततः हिमालय की सुरक्षा केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है - यह भारत के अस्तित्व, जलसुरक्षा, और सभ्यता की निरंतरता का प्रश्न है। जब हम हिमालय की रक्षा करते हैं, तो हम अपने वर्तमान और आने वाले कल दोनों को संरक्षित करते हैं।

जीएसटी सुधार और भारतीय पर्यटन का नया सवेरा

-गजेंद्र सिंह शेखावत-
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री

भारत में पर्यटन का अर्थ हमेशा ही मनोरंजन से कहीं बढ़ कर रहा है यह सभ्यताओं के बीच संवाद, विरासत का वाहक और समावेशी विकास का उत्प्रेरक है। फिर भी, दशकों से, लद्दाख के मठों से लेकर कन्याकुमारी के समुद्री तटों तक, हमारी अद्वितीय विविधता के बावजूद, इसकी पूरी क्षमता का दोहन करों के अलग-अलग ढांचे और उच्च लागत के कारण नहीं हो पाया है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में हाल के सुधारों ने इस कहानी को अब बदलना शुरू कर दिया है।

वर्षों से, भारत का पर्यटन और आतिथ्य उद्योग एक जटिल कर व्यवस्था के बोझ तले दबा रहा है। सेवा कर, वैट, विलासिता कर जैसे कई तरह के करों ने भ्रम उत्पन्न किया और यात्रा की लागत बढ़ा दी। जीएसटी लागू होने से करों में सरलीकरण तो हुआ था, लेकिन हाल ही में दरों का युक्तिसंगत बनाया जाना भारतीय पर्यटन को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में निर्णायक सिद्ध हुआ है।

होटल के 7,500 रुपये से कम शुल्क वाले कमरों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% करना विशेष रूप से परिवर्तनकारी रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार और कम खर्च में यात्रा करने वाले लोग, जो घरेलू पर्यटन की रीढ़ हैं, उनके लिए यात्रा अब अधिक किफायती हो गई है। उच्च अधिभोग दर, लंबे समय तक प्रवास और स्थानीय स्तर पर अधिक खर्च इसके प्रत्यक्ष परिणाम हैं। कम अनुपालन लागत से छोटे उद्यमियों और होमस्टे मालिकों के लिए लाभप्रदता में सुधार हुआ है और औपचारिकता को बढ़ावा मिला है। यह पर्यटन के विस्तार और स्थायित्व की दिशा में शांत लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव है।

पर्यटन कनेक्टिविटी के बल पर फलता-फूलता है। यात्री परिवहन पर, खासकर दस से ज़्यादा यात्रियों वाली बसों पर जीएसटी दर का 28% से घटाकर 18% किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे तीर्थयात्रियों, छात्रों और परिवारों के लिए अंतर-शहरी और समूह यात्राएँ ज्यादा सुलभ हो गई हैं। हेरिटेज सर्किट, इको-टूरिज्म पार्क और ग्रामीण पर्यटन स्थलों में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है।

यह सुधार सस्ते टिकटों की उपलब्धता से कहीं बढ़कर है। यह क्षेत्रों को जोड़ने, यात्रा को सबके लिए सुलभ बनाने और छोटे टूर ऑपरेटरों को अपना कारोबार बढ़ाने का अवसर देने से संबंधित है। भारत के लिए, जहाँ पर्यटन क्षेत्रीय समानता का एक सशक्त माध्यम है, वहीं किफायती यात्रा आर्थिक सशक्तिकरण का आधार है।

भारत का आकर्षण केवल उसके स्मारकों में ही नहीं, बल्कि उसकी जीवंत परंपराओं में भी निहित है। कला और हस्तशिल्प उत्पादों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने से इस क्षेत्र को बढ़ावा मिला है जो लाखों कारीगरों के जीवनयापन का आधार है। स्थानीय बाज़ार में बिकने वाली हर हस्तनिर्मित कलाकृतियों पर भारत की सांस्कृतिक निरंतरता की छाप होती है।

करों में कमी किया जाना यहाँ महज़ आर्थिक पहल भर नहीं है। यह एक सांस्कृतिक निवेश है। आज पर्यटक प्रामाणिकता की तलाश में रहते हैं और जब वे हाथ से बुनी कांचीपुरम की साड़ी या चंदन की नक्काशीदार मूर्ति घर ले जाते हैं, तो वे भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा अपने साथ ले जाते हैं। यह सुधार कारीगरों को सशक्त बनाता है, शिल्प समूहों को मज़बूत बनाता है और विरासत को विकास की कहानी का हिस्सा बनाता है।

संभवतः जीएसटी का सबसे स्थायी लाभ स्पष्टता है। छोटे होटल, होमस्टे और ट्रैवल एजेंसियां अब राज्य-विशिष्ट करों की भूलभुलैया के बजाये एक ही निर्धारित ढांचे के भीतर काम करती हैं। इससे अनुपालन में सुधार होता है, निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और नवाचार के लिए जगह बनती है।

औपचारिकीकरण उन हज़ारों छोटे ऑपरेटरों के लिए ऋण, बीमा और डिजिटल भुगतान तक पहुंच भी बनाता है, जो कभी अनौपचारिक रूप से काम किया करते थे। एक ऐसा क्षेत्र, जो अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक महिलाओं और युवाओं को रोजगार देता है, यह एकीकरण परिवर्तनकारी है। पर्यटन अब केवल फुर्सत के क्षणों में आनंद उठाने से संबंधित उद्योग मात्र ही नहीं रह गया है, बल्कि उद्यमिता और आजीविका का प्रेरक भी बन चुका है।

वैश्विक स्तर पर, पर्यटक किस जगह की यात्रा करेंगे, यह वहां की मूल्य की प्रतिस्पर्धात्मकता पर निर्भर करता है। वर्षों से, भारत थाईलैंड और वियतनाम जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई गंतव्यों से पीछे रहा है, जहां होटलों के कर की दर कम थी और शुल्क सरल थे। हाल ही में जीएसटी में बदलाव ने इस अंतर को कम कर दिया है। भारत अब वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी दरों परआयुर्वेदिक रिट्रीट से लेकर हेरिटेज होटल तक विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करता है।

परिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। घरेलू पर्यटन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है और विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। क्रूज़, वेलनेस, फ़िल्म और आध्यात्मिक पर्यटन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों का तेज़ी से विस्तार हो रहा है। स्वदेश दर्शन 2.0, प्रसाद और वाइब्रेंट विलेज जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार द्वारा चलाए जा रहे एकीकृत प्रयास बुनियादी ढांचे, नीति और सामुदायिक भागीदारी को और बेहतर बना रहे हैं।

पर्यटन वर्तमान में भारत के जीडीपी में लगभग 5% का योगदान देता है और 80 मिलियन से ज्यादा लोगों की आजीविका का आधार है। निरंतर सुधारों और बुनियादी ढांचे में निवेश के साथ, यह 2030 तक आसानी से दोगुना हो सकता है। पर्यटन गतिविधि में प्रत्येक प्रतिशत की वृद्धि से कई गुना लाभ उत्पन्न होते हैं, जिनमें रोज़गार, स्थानीय उद्यम, महिला सशक्तिकरण और विभिन्न संस्कृतियों के बीच परस्पर समझ का विस्तार शामिल है।

जीएसटी सुधार कोई अलग-थलग राजकोषीय उपाय नहीं हैं, ये इस दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं कि कराधान बाधा न बने, बल्कि सबके लिए आसान हो। ये यात्रा को और अधिक किफायती, उद्यम को अधिक व्यावहारिक और पर्यटन स्थलों को अधिक आकर्षक बनाते हैं। ये अर्थव्यवस्था की नब्ज को लोगों के और करीब लाते हैं।

जिस प्रकार भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर अग्रसर है, विकसित भारत का सपना वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सांस्कृतिक रूप से सशक्त पर्यटन इको-सिस्टम के बिना अधूरा रहेगा। दुनिया भारत को नए सिरे से जान रही है-न केवल एक गंतव्य के रूप में, बल्कि एक ऐसे अनुभव के रूप में जो परंपरा का आधुनिकता के साथ, अर्थव्यवस्था का संवेदना के साथ सामंजस्य बिठाता है।

युक्तिसंगत जीएसटी, बेहतर कनेक्टिविटी, सशक्त कारीगरों और आत्मविश्वास से भरे उद्योग के साथ, भारत की पर्यटन गाथा इस दशक की सफलतम कहानियों में से एक बनने जा रही है - एक ऐसी कहानी जहां सुधारों का मेल पुनर्जागरण से होता है और हर यात्रा नए भारत के निर्माण में योगदान देती है।

विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 300 रुपये प्रति माह की वृद्धि

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में परिवहन विभाग को राजीव गांधी स्वरोजगार

योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत सब्सिडी के प्रावधान के साथ 1000 मौजूदा डीजल/पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों से बदलने के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल, 2025 से विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 300 रुपये प्रति माह की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की। इससे राज्य के 510 विशेष पुलिस अधिकारी लाभान्वित होंगे। इसका लाभ गैर-जनजातीय क्षेत्रों के 403 और जनजातीय क्षेत्रों के 107 अधिकारियों को मिलेगा।

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल, 2025 से एसएमसी शिक्षकों टीजीटी, सीएंडवी, जेबीटी, लैक्चरर, डीपीई, आईटी कंप्यूटर शिक्षकों, मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं और अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने राज्य में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना और हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना जाइका चरण-2 के कार्यान्वयन और कुशल निगरानी प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह प्रणाली विभागों, एसपीएनएफ और जाइका के मध्य सामंजस्य को बढ़ावा देने के साथ-साथ परियोजनाओं के प्रमुख कार्यक्रमों के तहत अपेक्षित परिणामों के साथ कुशल शासन और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने के लिए आदर्श उप-नियमों के रूप में ग्राम पंचायतों द्वारा अपनाए जाने वाले ग्रामीण क्षेत्र विकास दिशा निर्देशों के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस मंत्रिमंडलीय उप-समिति के सदस्य होंगे।

बैठक में राज्य सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों इत्यादि के अंतर्गत ग्रुप-ए, बी, सी और डी के पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए विचार हेतु योग्य मेधावी खिलाड़ियों की सूची में 19 खेलों को शामिल करने को मंजूरी दी गई। इन खेलों में बेसबॉल, पैरा स्पोर्ट्स, रग्बी ट्रायथलॉन, बधिर खेल, मल्लखंब, कूडो, मोटर स्पोर्ट्स, पेंचक सिलेट, शूटिंग बॉल, सॉफ्ट टेनिस, रोल बॉल, टेनपिन बॉलिंग, रस्साकशी, तलवारबाजी, नेटबॉल, सेपक टकराव, वुशु और किकबॉक्सिंग शामिल हैं।

मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट के अंतर्गत कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के लिए एक अलग और विशिष्ट राज्य संवर्ग बनाने को मंजूरी दी, जिसके लिए पहले चरण में जॉब ट्रेनी के रूप में 300 पद सृजित किए जाएंगे।

बैठक में नाहन मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए नव चयनित भूमि पर निर्माण कार्य को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल द्वारा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में नए स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी पाठयक्रमों में प्रवेश को विनियमित करने के लिए कार्योत्तर अनुमति देने पर स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला के सुपर स्पेशियलिटी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक और डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय से सहायक प्रोफेसर के 32 नये पदों को चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के तहत एमरजेंसी मेडिसिन विभाग में स्थानांतरित करने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में नई रेजिडेंट डॉक्टर्स नीति-2025 को तैयार करने को भी मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने सहायक स्टाफ नर्स की नियुक्ति को विनियमित करने के उद्देश्य से नीति/योजना तैयार करने हेतु स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी।

बैठक में हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ब्याज अनुदान सहित भू-स्थलीय सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इस योजना का नाम अब राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना होगा, जिसके अंतर्गत जनजातीय और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की भू-स्थलीय सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए ब्याज अनुदान दिया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु सरकार द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा, जबकि गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

मंत्रिमण्डल ने राज्यों को पूंजी निवेश 2025-26 हेतु विशेष सहायता योजना के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद की स्थापना को मंजूरी दी, जो पर्यटन निवेश को कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से आकर्षित करने, उसका मूल्यांकन करने और उसे सुगम बनाने के लिए एक तंत्र पर काम करेगी।

मंत्रिमण्डल ने राज्य में फार्मा इकाइयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, रेक्टिफाइड और सभी प्रकार के स्पिरिट की खरीद, भंडारण, परिवहन, गुणवत्ता परीक्षण और आपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने राज्य में पुरुष अनुबंध कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने की अनुमति दी।

सोलन जिले में हरिपुर संधोली-2, सूरजमाजरा लुबाना और बद्दी ब्लॉक के चक्कन में तीन नए सरकारी प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने राज्य के अधिकतम विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधन के अनुसार, स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण की सुविधा भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी विद्यार्थी के परिवार की आय सीमा 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने होम स्टे इकाइयों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य में पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दस दिनों के भीतर

होम स्टे इकाइयों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी विभागों के लिए यूजर फ्रैंडली ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के लिए सक्षम सॉफ्टवेयर कंपनियों की सेवाएं लेने के साथ साथ इस संदर्भ में टेंडर भी जारी किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिथिगृहों और विभिन्न विभागों के विश्राम गृहों में सभी भुगतान ऑनलाइन किए जाएं, जिसमें खाद्य बिलों का भुगतान आदि भी शामिल हो।

उन्होंने एशियन विकास बैंक और पर्यटन विकास बोर्ड परियोजनाओं के लिए नक्शे तैयार करने के लिए पेशेवर आर्किटेक्ट्स की सूची तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसे दस दिनों के भीतर विज्ञापित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने में तेज़ी लाई जाए तथा इस प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया जाए। उन्होंने पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद के प्रस्तावित नियमों में बदलाव करने का सुझाव भी दिया, जिस पर बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि निर्माणाधीन होटलों पर भी पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद के नियमों के तहत विचार किया जाए।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की घाटे में चल रही इकाइयों के संचालन और रख-रखाव की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश दिए ताकि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके।

बैठक में मुख्य सचिव संजय गुप्ता, प्रधान सचिव देवेश कुमार, पर्यटन निदेशक विवेक भाटिया, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इमरजेंसी के दौरान सही और समय पर प्राथमिक उपचार से बचाई जा सकती है जान

शिमला/शैल। पारस हेल्थ पंचकूला ने शिमला में सेकंड्स सेव लाइव्स प्राइमरी फर्स्ट एड अवेयरनेस विषय पर जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य

मेडिकल इमरजेंसी के दौरान प्राथमिक उपचार के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना था, क्योंकि आपात स्थिति में हर सेकंड बहुत मायने रखता है। कान्फ्रेरेन्स में वरिष्ठ डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने बताया कि समय पर और सही तरीके से दिया गया फर्स्ट एड न केवल स्थिति को बिगड़ने से रोक सकता है, बल्कि किसी की जान भी बचा सकता है।

डा.आशीष गुप्ता, सीनियर डायरेक्टर न्यूरोसर्जरी ने कहा कि इमरजेंसी कभी भी और कहीं भी हो सकती है, घर, सड़क या कार्यस्थल पर। ऐसे समय में घबराने की बजाये सही कदम उठाना बेहद जरूरी है। खून बहाना रोकना या सांस की नली साफ रखना जैसी साधारण चीजें भी किसी की जान बचा सकती हैं। हमारा उद्देश्य है कि लोग आत्मविश्वास और सही ज्ञान के साथ ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सकें।

डॉ. चेतन गोयल, एसोसिएट डायरेक्टर इमरजेंसी ने कहा कि जब समुदाय को यह पता होता है कि शुरुआती कुछ क्षणों में क्या करना है, तो वह समाज अधिक सुरक्षित बनता है। सही जागरूकता और ट्रेनिंग के माध्यम से आम नागरिक भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन सकते हैं और आपात स्थिति में जीवन बचा सकते हैं।

डॉ. सौरव सरकार, कंसल्टेंट, प्लास्टिक सर्जरी ने बताया कि कई बार लोग घबराहट या जानकारी की कमी के कारण गलती कर बैठते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि जब तक डॉक्टर या मेडिकल टीम पहुंचे, तब तक लोग सुरक्षित तरीके से मदद कर सकें। सही फर्स्ट एड से नुकसान कम होता है और रिकवरी तेज़ होती है।

पारस हेल्थ समय-समय पर ऐसे जनजागरूकता अभियानों का आयोजन करता है ताकि लोग स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति सजग रहें। हॉस्पिटल का लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जो इमरजेंसी के समय घबराए नहीं, बल्कि समझदारी और आत्मविश्वास के साथ तुरंत कदम उठाए, क्योंकि हर सेकंड की अहमियत होती है।

11 वर्ष बाद आयोजित हुई राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक

शिमला/शैल। 11 वर्ष के अंतराल के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई तथा समिति के सदस्यों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून कांग्रेस पार्टी तथा संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की दूरदृष्टि और सामाजिक न्याय की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू है, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। प्रशासनिक तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

सुक्खू ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने समाज में समानता और समरसता की स्थापना के लिए जीवनभर संघर्ष किया। उनकी प्रेरणा से ही राज्य सरकार अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में छुआछूत की घटनाएं अब कम रह गई हैं। राज्य सरकार ऐसे मामलों में कठोर कारवाई सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 1,200 पीड़ितों को पुनर्वास राहत के रूप में लगभग 7.35 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं, जबकि 45,238 पीड़ितों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की गई है।

इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि प्रदेश की 25.19 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जातियों से संबंधित है और राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक योजनाओं के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के बीच भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और 17 के अंतर्गत छुआछूत और जातिगत भेदभाव को दंडनीय अपराध घोषित कर सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अधिनियम के उल्लंघन पर अत्याचार की गंभीरता के अनुसार सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

बैठक में युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा, 7वें राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष नंद लाल, विधायक हंस राज, विनोद कुमार, सुरेश कुमार, मलेंद्र राजन, मुख्य सचिव संजय गुप्ता और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

एसजेवीएन
SJVN

विद्युत उत्पादन से
राष्ट्र का सशक्तिकरण

हमारा साझा विजन

2040 तक 50000 मेगावाट

2030 तक 25000 मेगावाट

**घरों, उद्योगों एवं अर्थव्यवस्थाओं के लिए स्वच्छ,
विश्वसनीय एवं स्थाई ऊर्जा प्रदान करने में अग्रणी**

*एक सतत् एवं समावेशी भविष्य के लिए हमसे जुड़ें।
आइए मिलकर प्राकृतिक ऊर्जा को अपनाएं, नवाचार को आगे बढ़ाएं
और एक उज्ज्वल, हरित भविष्य का निर्माण करें।*

पंजीकृत कार्यालय : शक्ति सदन, कारपोरेट ऑफिस काम्पलैक्स,
शनान, शिमला–171006, हिमाचल प्रदेश (भारत)

सम्पर्क कार्यालय : ऑफिस ब्लाक, टॉवर–1, 6वीं मंजिल,
एनबीसीसी कॉम्पलैक्स, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023

एसजेवीएन लिमिटेड
SJVN LIMITED
(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
'नवरत्न सीपीएसई'

www.sjvn.nic.in
@Sjvnlimited @Sjvnlimited @sjvnlimited

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

क्या मुख्यमंत्री की बहस में उलझकर भाजपा सरकार की मदद कर रही है?

शिमला/शैल। क्या प्रदेश भाजपा भी खेमेबाजी का शिकार होती जा रही है? क्या भाजपा की प्राथमिकता जनहित से ज्यादा राजनीतिक हित होता जा रहा है? यह सवाल प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक और वित्तीय स्थिति जिस मोड़ पर पहुंच चुकी है उसके परिदृश्य में उठने लगे हैं। क्योंकि प्रदेश में संयोगवश एक लम्बे अरसे से कांग्रेस और भाजपा में सत्ता बंटी हुई चली आ रही है। बल्कि यह स्थिति बन गई है कि कांग्रेस के बाद भाजपा और भाजपा के बाद कांग्रेस ने ही सत्ता में आना है। क्योंकि स्व. वीरभद्र सिंह से लेकर जयराम तक कोई भी पार्टी अपने को सत्ता में पुन: वापसी नहीं दिला पायी है। जब राजनेताओं की ऐसी मानसिकता बन जाती है तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान प्रदेश की जनता का होता है। आज प्रदेश एक लाख करोड़ के कर्ज तले आ चुका है। लेकिन किसी भी पार्टी ने सत्ता से यह नहीं पूछा कि आखिर इस कर्ज का निवेश कहां हुआ है? बढ़ते हुये कर्ज का असर महंगाई और स्थाई रोजगार पर पड़ता है यह एक स्थापित सच है। हिमाचल आज जिस तरह की वित्तीय स्थिति में पहुंच चुका है उसमें आने वाले समय में सरकारें चलाना और संभालना कठिन हो जायेगा। प्रदेश सरकार वित्तीय संकट के लिये पूर्व की भाजपा सरकार को दोषी करार देती आ रही है। लेकिन भाजपा ने एक दिन भी यह सवाल नहीं पूछा कि इस कर्ज का निवेश कहां हुआ और उससे प्रदेश को क्या लाभ हुआ। क्योंकि आज बेरोजगारी में प्रदेश देश के पहले छ: राज्यों की सूची में शामिल हो चुका है। जब सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता है तो उससे स्वभाविक रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों का आचरण एक जैसा ही सामने आ रहा है। पूर्व की जय राम सरकार में भी भाजपा द्वारा बतौर विपक्ष दागे गये आरोप पत्र बिना जांच के रहे और आज सुक्खू सरकार में भी अपने ही आरोप पत्रों को ठंडा बस्ते में डाल दिया गया है। कांग्रेस ने तो विधानसभा चुनावों के दौरान पूर्व सरकार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप पत्र जारी किया था। व्यवस्था परिवर्तन के सूत्र वाली सरकार में यह सामने आ गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रदेश में पत्रकारों के खिलाफ दर्ज हुई चौबीस एफ.आई.आर. इसका प्रमाण है।

ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि प्रदेश की वर्तमान स्थिति में भाजपा की भूमिका क्या होती जा रही है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नादौन में राजा नादौन की एक लाख कनाल से ज्यादा जमीन जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में ताबे हकूक बर्तन बर्तनदारन का अन्दराज दर्ज है और इस कारण वह सरकार की जमीन थी वह कैसे बिक गई। 2017 में भाजपा ने हमीरपुर में कुछ पत्रकार वार्ताओं में इस मुद्दे का अपरोक्ष में जिक्र किया था। लेकिन उसके बाद आज तक इस पर खामोश है। यहां तक की देहरा विधानसभा उपचुनावों के दौरान चुनाव आचार संहिता के बीच कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा लाखों रुपए महिला मण्डलों को बांटे गये। यह मामला प्रदेश विधानसभा में भी उछला और पूर्व विधायक होशियार सिंह ने विधिवत इसकी शिकायत राज्यपाल के पास दर्ज करवाई। लेकिन इस शिकायत पर न तो राज्यपाल की ओर से कोई कारवाई सामने आयी और न ही भाजपा ने इस पर मुंह खोला। आज प्रदेश भाजपा अगले मुख्यमंत्री की चर्चाओं में लग पड़ी है। मण्डी में अनुराग ठाकुर को लेकर लगे नारों और उस पर जयराम ठाकुर की प्रतिक्रियाओं से यह पूरी तरह नंगा होकर सामने आ गया है। जनता में यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या यह आज का आवश्यकता मुद्दा है? क्योंकि प्रदेश घोर वित्तीय संकट से घिरा हुआ है। अगले दो-तीन माह का समय भयंकर होने वाला है। ऐसे में प्रदेश भाजपा अभी से मुख्यमंत्री की चर्चाओं को उछाल कर क्या प्रदेश का ध्यान बंटाने की रणनीति पर नहीं आ गई है? क्या यह आचरण प्रदेश की वर्तमान स्थिति में आवश्यक है क्या इससे सरकार की मदद नहीं की जा रही है

क्या सरकार से हिसाब मांगना उसकी जवाबदेही तय करना कोई अपराध है

शिमला/शैल। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक

राजिन्दर राणा ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार ने कैबिनेट रैंक के साथ सलाहकारों की फौज खड़ी करके मुख्यमंत्री ने प्रदेश पर पहले ही आर्थिक भार डाल दिया है। ऐसे सलाहकार जिनके लिये प्रदेश में व्याप्त अराजकता, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, व्यवस्था पतन, विकास के विपरीत काम प्रमुख मुद्दा नहीं है? मुख्यमंत्री को उनसे किनारा कर लेना चाहिए। इस तरीके की सोच रखने वाले सलाहकार भी प्रदेश के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। वेलफेयर स्टेट के बजाये फ्रेंड्स वेलफेयर स्टेट के तौर पर काम कर रही सरकार के सलाहकार मुख्यमंत्री को विकास करने की सलाह देने की बजाये विपक्ष को सलाह दे रहे हैं कि वह प्रदेश के हितों के मुद्दे ना उठाएं? क्या मित्र मंडली को ही पूरे प्रदेश के संसाधन लूटने की खुली छूट देना ही प्रदेश के विकास का मानक है?

प्रदेश की आर्थिकी पर अब तक करोड़ों का बोझ डाल चुके सलाहकार महोदय कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष अच्छे मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। क्या आपदा प्रभावितों को केंद्र द्वारा भेजा गया 5500 करोड़ रुपए देने की मांग करना, सर्दी के मौसम में बेघर हो चुके लोगों की चिंता करना, आपदा प्रभावितों को राशन पहुंचाने की मांग करना, इसके युवाओं को नौकरी देने की मांग करना, प्रदेश के कर्मचारियों को समय पर वेतन देने की मांग करना, डीए देने की मांग करना गलत है? क्या विपक्ष द्वारा प्रदेश में बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार की बात करना, अस्पतालों में बर्बाद हो चुकी चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात करना, हिम केयर, आयुष्मान, शगुन, सहारा, वृद्धा पेंशन जारी करने की मांग करना छोटा मुद्दा है? अगर उन्हें ऐसा लगता है तो उनकी सोच में कोई खामी है।

भाजपा नेता राजिंदर राणा ने कहा कि क्या प्रदेश में संविधान की धज्जियां उड़ाना, नगर निगम के चुनाव रोककर, नगर निकाय के चुनाव रोककर, ग्राम पंचायत के चुनाव रोककर संविधान की धज्जियां उड़ाना और लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनने का विरोध करना छोटा मुद्दा है? क्या प्रदेश के संसाधनों को मित्र मंडली द्वारा पंजा मारने से रोकना छोटा मुद्दा है? क्या प्रदेश में फैल रहे नशे के कारोबार, अपराध, माफिया राज नशाखोरी को सरकार का संरक्षण देने का विरोध करना छोटा मुद्दा है? प्रदेश हित की बात करना छोटा मुद्दा है? क्या सरकार से हिसाब मांगना उसकी जवाबदेही तय करने की बात करना छोटा मुद्दा है?

सत्ता के संरक्षण में मित्र मंडली द्वारा प्रदेश के संसाधनों के लूट की खुली झूठ का विरोध करने की बजाये सरकार के सलाहकार विपक्ष को ही बता रहे हैं कि सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के बजाये, जनहित की बात करने के बजाये बड़े मुद्दे उठाएं। आम आदमी के मुद्दे भाजपा के लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे हैं। हर हिमाचली के मुद्दे हैं। हर हिमाचल वासी की पीड़ा को उठाना हमारा धर्म है और हम इसे उठाते रहेंगे। सरकार में बैठे कैबिनेट रैंक के सलाहकार अपनी और सरकार की नीयत साफ रखें और उन झूठी गारंटियों को पूरा करने का काम करें जिसके भरोसे कांग्रेस ने प्रदेश का जनादेश चुराया था।